

सेवा में,

प्रभागीय वनधिकारी/निदेशक,
कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया,
मैनपुरी, फतेहपुर।

विषय:- 765 क०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया, मैनपुरी एवं फतेहपुर वन प्रभागों में कुल 19.474 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- महाप्रबन्धक, एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०, गोमतीनगर, लखनऊ का पत्रांक- एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०/एफ०पी०सी०एल०-01/501, दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का समेकित प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में विभिन्न वन प्रभागों में ऑन-लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

कानपुर नगर वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
2. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
3. गजट नोटिफिकेशन की चिन्हित व प्रमाणित प्रति संलग्न है, किन्तु पठनीय नहीं है।
4. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
6. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्राफी, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

कानपुर देहात वन प्रभाग:-

1. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संलग्न सूची में वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है। वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई है, इसे मूल में संलग्न करें।
2. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
5. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है, जबकि प्रभागीय निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रमाणित नहीं की गई है।
6. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
7. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
8. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्राफी, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

इलाहाबाद वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
2. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है, किन्तु उसका सारांश व वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है।
3. दिनांक 13.01.2017 को दूरभाष पर हुई वार्तानुसार प्रस्तावित परियोजना में कुल प्रभावित वनभूमि के दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन Cost escalation को समाहित करते हुये संशोधित कर संलग्न करें एवं ऑनलाइन अपलोड करें।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Referenced Map, KML file CD सहित संलग्न करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।

7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की सत्यापित व चिह्नित रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न करें।
8. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
9. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
10. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
11. वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र प्रस्तावित प्रस्ताव में सम्मिलित न होने सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
12. संरक्षित वनभूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न है, जबकि चिह्नित नहीं की गई है तथा आरक्षित वनभूमि का प्रभागीय निदेशक द्वारा चिह्नित व प्रमाणित गजट नोटिफिकेशन संलग्न नहीं है।
13. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
14. ऑनलाइन पार्ट-2 में ईको क्लास-4 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ईको क्लास-3 अपलोड करें।
15. प्रस्तावित पारोपण लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु उस पर क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न करें।
16. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
17. ऑनलाइन पार्ट-2 क्रमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।

औरैया वन प्रभाग:-

1. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र में क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुये ऑनलाइन पार्ट-2 में भी अपलोड करें।
5. परियोजना से 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
7. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्राफिक, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

मैनपुरी वन प्रभाग:-

1. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
4. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है, जबकि प्रभागीय निदेशक द्वारा चिह्नित व प्रमाणित नहीं की गई है।
5. प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
6. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
7. ऑनलाइन पार्ट-2 में District wise area to be diverted त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है।
8. ऑनलाइन पार्ट-2 क्रमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
9. ऑनलाइन पार्ट-2 क्रमांक-6 में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
10. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्राफिक, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

फतेहपुर वन प्रभाग:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु उस पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक वनभूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।
2. प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है, किन्तु उसका सारांश व वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है।

3. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
5. ईको-क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गई है। अतः ईको-क्लास 3 के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न करें।
6. ऑनलाइन पार्ट-2 में ईको क्लास-1 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ईको क्लास-3 अपलोड करें।
7. प्रस्तावित पारिषण लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु गणना वर्तमान दर से नहीं है। अतः प्रस्तावित लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधे के वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण का वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित प्राक्कलन संलग्न करें।
8. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।
9. ऑनलाइन पार्ट-2 क्रमांक-5, working plan prescription for the forest land में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड किया गया है।
10. प्रस्तावित कुल वनभूमि के बदले दूगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्राक्कलन, 1:50000 माप की टोपोग्राफी, Geo Referenced Map एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।

प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर :-

1. कानपुर नगर, फतेहपुर एवं इलाहाबाद वन प्रभाग का प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप के रंगीन मानचित्र में लीजेंड, शीर्षक एवं तीन वैकल्पिक संरेखण स्पष्ट नहीं है, संशोधित कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न करें।
2. वन विभाग, उ०प्र० शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गई मानक शर्तों के मान्य होने के प्रमाण-पत्र पर 16 मानक शर्तों का ही उल्लेख किया गया है, जो अपूर्ण है। सभी 18 मानक शर्तें अंकित कर संलग्न करें।
3. ऑनलाइन पार्ट-1 में सभी वन प्रभागों का कुल क्षेत्रफल 19.3594 हे० अपलोड किया गया है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक A-1(VIII) कुल प्रभावित क्षेत्रफल 19.474 अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल अपलोड करें।
4. ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक A-1(IX), B-2.1, B-2.2, B-2.3, B-2.4 में नान फारेस्ट लैण्ड शून्य अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
5. ऑनलाइन पार्ट-1 में अथारिटी लेटर अपलोड नहीं किया गया है।
6. ऑनलाइन पार्ट-1 में Village wise breakup एवं Component wise breakup त्रुटिपूर्ण है।
7. ऑनलाइन पार्ट-1 में Employment likely to be generated- No अपलोड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
8. मैनपुरी वन प्रभाग की प्रस्तावित वनभूमि का पॉच Geo referenced Map अपलोड किया गया है जबकि KML file छः अपलोड की गई है, स्थिति स्पष्ट करें।
9. ऑनलाइन पार्ट-1 में प्रस्तावित वनभूमि की तीन वैकल्पिक संरेखण की 1:50000 माप की टोपोग्राफी अपलोड नहीं की गई है।
10. ऑनलाइन पार्ट-1 वनभूमि की गणना अपलोड नहीं की गई है।
11. ऑनलाइन पार्ट-1 में अपलोड किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo referenced Map में सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1400 / 11-सी- FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, इलाहाबाद, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया, मैनपुरी एवं फतेहपुर।
4. महाप्रबन्धक, एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।